उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-1
संख्या-41/1113/एक-1-2015-5(84)/2014
लखनऊ: दिनाँक: 30 जून 2015

<u>अधिसूचना</u>

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1951) की धारा 117 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके एवं शासनादेश संख्या- प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनाँक 19-12-2008 में दिये गये निर्देशों/शर्तो के अधीन एवं इस सीमा तक और सरकारी आदेश संख्या-68/तीन-2(6)/1979-राजस्व-1, दिनाँक 01 जुलाई, 1983 का आंशिक उपान्तर करके श्री राज्यपाल महोदय द्वारा नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो कि पूर्व में आदेश संख्या-68/3-2(6)/1979-रा0-1, दिनाँक 05 सितम्बर, 1986 द्वारा यथा संशोधित उक्त आदेश द्वारा इस अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गाँव सभा में निहित की गई थी, का पुनर्ग्रहण करते हुए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से सुनियोजित औद्योगिक विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते है।

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गॉव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	भूमि की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गौतमबुद्धनगर	सदर	दनकौर	फतेहपुर अटटा	14	0.0696	औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सुनियोजित औद्योगिक विकास हेतु ।
				योग	**कुल 01 गाटा**	**0.0696 हे0**	

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

shasnadesh.up.nic.in

संख्या- (1)/एक-1-2015-5(84)/2014 तद् दिनाँक।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को उनके पत्र संख्या-350/डीएलआरसी/2013-14 दिनाँक 27.08.2013 के सन्दर्भ में इस आशय के साथ प्रेषित कि वह इस आदेश की प्रतियाँ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करायें तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित करते हुए अनुपालन आख्या राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- यह भी अपेक्षित है कि राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-258/16(1)-73-रा0-1, दिनाँक 09 मई, 1984 के अनुसार पुनर्ग्रहीत भूमि कुल 01 गाटा रकबा 0.0696 हे0 का वर्तमान प्रचलित बाजार दर पर आंकलित मूल्य तथा शासनादेश संख्या-888/एक-1/04-रा0-1, दिनाँक 14-09-2004 के अनुसार उक्त भूमि की नयी दरों पर निकाली गई मालगुजारी के 150 गुना के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया लेखाशीर्षक "0029-भू राजस्व-800-अन्य प्राप्तियाँ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ" के नाम जमा कराये जाने की सूचना तथा चालान की प्रति राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार वाँछित धनराशि जमा कराये जाने के पश्चात भूमि का कब्जा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को सुनियोजित औद्योगिक विकास हेतु दिया जायेगा। वार्षिक किराया प्रति वर्ष देय होगा। ग्राम सभा की उक्त भूमि औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखी जायेगी ।

3. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से सुनियोजित औद्योगिक विकास के व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक उपयोग की भूमि यथा-मुख्य मार्ग की भूमि का पुनर्ग्रहण इस शर्त के अधीन किया जा रहा है कि मुख्य मार्ग की भूमि के पुनर्ग्रहण के उपरान्त ग्राम वासियों का आवागमन बाधित नहीं किया जायेगा। ग्राम सभा की भूमि का पुनर्ग्रहण केवल यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को सुनियोजित औद्योगिक विकास हेतु किया जा रहा है, औद्योगिक विकास के अतिरिक्त अन्य किसी योजना/कार्य हेतु भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा। उक्त सभी शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

4- जिलाधिकारी द्वारा शासनादेश संख्या-प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनाँक 19-12-2008 में दिये गये निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन कराया जाय तथा निर्धारित प्रारूप पर यथा निर्देश पुनर्ग्रहण की सूचना भी उपलब्ध कराया जाये।

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

-3-

shasnadesh.up.nic.in

संख्या- (2)/एक-1-2015-5(84)/2014 तद् दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ।
4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोयडा, गौतमबुद्धनगर ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।

shasnadesh.up.nic.in